



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 20.03.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 323/504 भादवि व 3(1)द/3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.07.2018 को वादी श्री रामपाल वाल्मिकी पुत्र बुन्दू लाल निवासी मौ० मकबरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी की अभियुक्त तंजीम पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ० रमपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर आदि ने वादी के साथ सब्जी खरीदने को लेकर हुए विवाद में गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 399/18 धारा 323/504 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.03.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल जज/एससी/एसटी एक्ट बिजनौर द्वारा मु०अ०सं० 399/18 धारा 323/504 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त अभियुक्त तंजीम पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ० रमपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- तंजीम पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ० रमपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक 20.03.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते हुए 15560/- रुपये की नकदी तीन मोबाइल फोन व तीन फर्जी आधार कार्ड आदि सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. फराकत पुत्र शौकत नि० लडापुरा थाना को०शहर जनपद बिजनौर 2. सदाकत पुत्र शौकत नि० लडापुरा थाना को०शहर जनपद बिजनौर व 3. तोहिद पुत्र सद्दीक नि० मौ० चाहशीरी B-24 थाना को०शहर जनपद बिजनौर को सट्टे की खाईबाडी करते हुए एक सट्टा पर्चा, एक पेन्सिल, एक दफती, 15560/- रुपये नगदी, तीन मोबाइल फोन व तीन फर्जी आधार कार्ड सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 239/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. फराकत पुत्र शौकत नि० लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. सदाकत पुत्र शौकत नि० लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. तोहिद पुत्र सद्दीक नि० मौ० चाहशीरी B-24 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

एक सट्टा पर्चा, एक पेन्सिल, एक दफती, 15560/- रुपये नगदी, तीन मोबाइल फोन व तीन फर्जी आधार कार्ड ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

- 1.उ०नि० श्री श्री सुरेशपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.हे०का० 481 अमित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.का० 2218 गौरव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.का० 2061 सन्दीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 5.का० 1643 अक्षय कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 6.का० 2617 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर